

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2014—आश्विन 23, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्र. सी 5-1-2013-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) ये नियम ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो,—

- (क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के पूर्व या पश्चात् पहले से ही नियोजित है अथवा मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी, 2004 द्वारा पुनः पदस्थ किये गये हैं, और
- (ख) दिनांक 21 जनवरी, 2004 के पश्चात् वित्त विभाग की सहमति से अथवा मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन से स्वीकृत पदों पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किए गए हैं.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्र. सी 5-1-2013-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्र. सी 5-1-2013-3-1 दिनांक 15 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, the 15th October 2014

No. C-5-1-2013-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Daily Wages Employees (Conditions of Service) Rules, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 1, for sub-rule (2), the following new sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) These rules shall be applicable on such daily wages employees who are,—

- (a) already employed before or after 31st December, 1988 or reinstated by the order dated 21st January, 2004 issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh; and
- (b) appointed after 21st January, 2004 on the daily wages posts sanctioned with the concurrence of the finance Department or approval of the Cabinet.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.